न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रतनगढ जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती अर्पिता सोनी, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्याः– दावा संख्या 20/2019

निर्णय दिनांक :– 29-7-2019

1. मनीराम दत्तक पुत्र गजानन्द जाति ब्राहमण पारीक निवासी गोगासर, त. रतनगढ
... वादी

बनाम

1. श्रीमती नारायणीदेवी पत्नि गजानन्द जाति ब्राहमण पारीक निवासी गोगासर त. रतनगढ
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रतनगढ जिला चूरू

.....प्रतिवादीगण

उपस्थितः–

1. श्री सुमेरसिंह अभिभाषक वादी
2. पैरोकार राज

दावा विभाजन , घोषणात्मक, रेकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 53, 88 आर.टी.एक्ट 1955

निर्णय

1. वादी की ओर से यह दावा अन्तर्गत धारा 53,88 आर.टी.एक्ट 1955 के अन्तर्गत घोषणात्मक, व संयुक्त खातेदारी भूमि के विभाजन के लिए दिनांक 19.3.2019 को प्रस्तुत किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।
2. दावा वादी का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी के दत्तक पिता गजानन्द पुत्र गोरूराम जाति ब्राहमण की खातेदारी की कृषि भूमि ख.नं. 596/378 तादादी 5.1850 हैक्टर रोही ग्राम गोलसर तहसील रतनगढ में स्थित है। वादी को प्रतिवादी सं. 1 व गजानन्द ने 5 वर्ष की उम्र में गोद लिया था।
3. वादी के दत्तक पिता विधिवत गोद लेने के एक दिन बाद अचानक दिनांक 2.5. 1996 को घर से निकल गये थे और काफी खोजने के बाद भी कोई पता नही

उप खण्ड अधिकारी
रतनगढ़ (चूरू)

Scanned by CamScanner

चल पाया। पुरानी व नई मतदाता सूची में वादी का नाम मनीराम पुत्र गजानन्द के नाम अकिंत है। गोदनामा दिनांक 7.7.1995 की प्रतिलिपि दावा के सलग्न है।

4. वादी के पिता गजानन्द के गुमशुदा की सूचना ग्राम पंचायत को दे दी गई परन्तु कई साल तक मृत्यू प्रमाण पत्र नही दिया। इस प्रकार 22–23 साल गुजर चुके है तथा मेरे पिता गजानन्द का जिवित या मृत होने का कोई पता नही चला है। तहसीलदार रतनगढ को भी ग्राम पंचायत द्वारा गायब/लापता होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर इन्तकाल दर्ज करने का कहा तो सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने का कह दिया। सात साल तक किसी व्यक्ति के जिवित या मृत होने की सूचना नही मिले तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 108 के अनुसार मृत होने की घोषणा की जा सकती है। वादी खोलायत पुत्र की हैसीयत से ख.नं. 596/378 का सह खातेदार हो चुका है।

5. वादी का समस्त कृषिभूमि में नाम दर्ज नही हो सके तो गजानन्द की भूमि में से 1/2 हिस्सा तो दर्ज किया जावे। प्रतिवादी सं. 1 से निवेदन किया तो उन्होने यह कहते हुए इन्कार कर दिया कि जब मेरे नाम खातेदारी दर्ज नही है तो मैं बंठवारा की स्वीकृति कैसे दे सकती हूँ। यही दावे का आधार है। वादी अपने 1/2 हिस्से की कृषि भूमि का स्वतः खातेदार हो चुका है जिसकी घोषणा करवाने वह कानूनन अधिकारी है।

6. अतः ख.नं. 596/378 तादादी 5.1850 हैक्टर रोही ग्राम गोलसर का गजानन्द खातेदार का दतक पुत्र होने से 1/2 हिस्सा भूमि का खातेदार घोषित किया जावे। प्रतिवादी सं. 2 को आदेश दिया जावे कि वोह प्राथमिक डिक्री के अनुसार हिस्सा चिन्हित करके अमल दरामद करें।

7. प्रतिवादी सं. 1 की ओर से दिनांक 28.5.2019 को ईकबाल दावा प्रस्तुत कर दावा को स्वीकार किया गया तथा पैरोकार राज की ओर से कोई राज्यहित नही होना जाहिर किया गया।

8. वादगत भूमि ग्राम गोलसर तहसील रतनगढ में स्थित होने से न्यायालय को श्रवणाधिकार एवं क्षैत्राधिकार प्राप्त है। राजस्थान सरकार आवश्यक पक्षकार है, इसलिए उन्हे प्रतिवादी सं. 2 संयोजित किया गया है।

9. वादी की ओर से साक्ष्यवादी में स्वंय का शपथ पत्र मुख्य परीक्षण प्रस्तुत किया गया तथा नकल जमाबन्दी सं. 2070–75 प्रदर्श–1, ग्राम पंचायत गोलसर का

उप खण्ड अधिकारी
रतनगढ (चूरू)

Scanned by CamScanner

प्रमाण पत्र प्रदर्श–2 व गोदनामा प्रदर्श–3ए व नकल एक्स प्रदर्श –4 प्रस्तुत की है।

10. बहस विद्वान अभिभाषक व पैरोकार राज सुनी गई। पत्रावली एवं राजस्व रेकार्ड का भलिभातीं अवलोकन किया गया। नकल जमाबन्दी प्रदर्श–1 के अनुसार ख. नं. 596/378 तादादी 5.1850 हैक्टर रोही ग्राम गोलसर की खातेदारी गजानन्द पुत्र गोरूराम ब्राहमण निवासी गोलसर के नाम दर्ज है। दत्तक पत्र दिनांक 7.7. 1995 के द्वारा वादी को गजानन्द द्वारा गोद लिया गया है। वादी द्वारा दत्तक पुत्र होने के फलस्वरूप खातेदारी घोषण चाही गई है। वादी ने दतक पिता गजानन्द को 22–23 वर्ष पहले से लापता होने का अकंन किया है तथा ग्राम पंचायत का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। यहां वादी चाहता है कि उसके दतक पिता को मृत माना जाकर खातेदारी अधिकार दिये जावे। हालाकिं साक्ष्य अधिनियम में 07 वर्षो से अधिक समय तक लापता होने पर मृत होने की अवधारणा की जा सकती है परन्तु उसके लिए विधिक रूप से साक्ष्य प्रकट होना आवश्यक है। हस्तगत प्रकरण में ग्राम पंचायत गोलसर द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र के अलावा अन्य कोई दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत नही हुआ है। ऐसी कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट भी प्रस्तुत नही हुई है, जिससे माना जा सके कि वादी के दतक पिता गजानन्द कब लापता हुए थे। वादी स्वंय का कथन है कि ग्राम पंचायत द्वारा मृत्यू प्रमाण पत्र जारी नही किया जा रहा है, तो फिर उसके प्रमाण पत्र दिनांक 13.2.19 के आधार पर 23–23 वर्षो से लापता होने की पुष्टि नही मानी जा सकती है। इस प्रकार बिना सक्षम न्यायालय से दतक पिता गजानन्द को मृत घोषित करवाये बिना वादगत भूमि की खातेदारी बाबत दावा डिक्री किये जाने योग्य नही है।

11. अतः दावा वादी खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 29-7-2019 को बसरे ईजलास सुनाया गया।

(अर्पिता सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
रतनगढ़ जिला चूरू

उप खण्ड अधिकारी
रतनगढ़ (चूरू)

Scanned by CamScanner